न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 31 / 2018 (उदयपुर डिक्री)

रिषु सुहालका पिता विजयलाल जी सुहालका, निवासी मकान नंबर 208–बी, सरदारपुरा, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री सुप्रिम ऑटो इन्जीनियरिंग वर्क्स, सिटी स्टेशन रोड़, उदयपुर द्वारा श्री अमित सुहालका पिता सुन्दरलाल जी सुहालका कलाल, निवासी मकान नंबर 202, अशोक नगर, रोड़ नंबर 14, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती पूर्णिमा सुहालका पत्नी श्री अमित सुहालका कलाल, निवासी मकान नंबर 202, अशोक नगर, रोड़ नंबर 14, उदयपुर (राज.)
3. विजयलाल पिता स्वर्गीय माणकलाल जी सुहालका, निवासी मकान नंबर 208–बी, सरदारपुरा, उदयपुर (राज.)
4. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 08.02.2018, प्र.सं. 72 / 15

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री शान्तिलाल चपलोत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभि.रे.सं. 1, 2
3– रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 स्वयं उपस्थित
4– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभि. न.वि.प्र.
5– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 10–12–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी / अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत

धारा 88, 92–ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सवीना में साबिक आराजी नंबर 587/1 रकबा 7½ बीघा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 1411, 1412, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1440, 1441, 1442, 1443 कुल किता 12 रकबा 1.6600 हैक्टर बने हैं। उक्त सम्पत्ति वादी की मौरूसी होकर बाप–दादाओं के समय से चली आ रही है। वादी के परिवार का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष ओगड जी के पुत्र माणकलाल हुआ व माणकलाल जी 4 पुत्र घनश्यामलाल, बंशीलाल, उच्छवलाल व विजयलाल हुए। वादी विजयलाल का पुत्र है। इस प्रकार उक्त भूमियां संयुक्त हिन्दू परिवार की होकर माणकलाल के चारों पुत्र घनश्यामलाल, बंशीलाल, उच्छवलाल व विजयलाल कोपार्सनर हुए तथा वादी विजयलाल का कोपार्सनर है, जिसका उक्त भूमि में जन्म से अधिकार है। माणकलाल के उक्त चार पुत्रों में से घनश्यामलाल, बंशीलाल व उच्छवलाल का स्वर्गवास हो चुका है, केवल विजयलाल ही जिन्दइा है, जिसकी उम्र 65 वर्ष है। सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व ग्राम सवीना के दो भाग होने से कुछ भूमियां ग्राम नेला में चली गयी तथा कुछ भूमियां सवीना में रही। ग्राम नेला की उक्त भूमियों का सहमति बंटवाड़ा होकर वाद पत्र की कलम संख्या 8 अनुसार भूमियां घनश्यामलाल, बंशीलाल व उच्छवलाल के खाते दर्ज हुई तथा वाद पत्र की कलम संख्या 9 की आराजी नंबर 1415 मी. रकबा 0.0600 हैक्टर, आराजी नंबर 1416 में से रकबा 0.0200 हैक्टर, आराजी नंबर 1417 में से रकबा 0.0750 हैक्टर, आराजी नंबर 1418 में से रकबा 0.0200 हैक्टर, आराजी नंबर 1440 में से 0.1250 हैक्टर, आराजी नंबर 1441 में से रकबा 0.0400 हैक्टर, आराजी नंबर 1442 मी. रकबा 0.0100 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 7 रकबा 0.3500 हैक्टर भूमि वादी के पिता विजयलाल के हिस्से के खाते दर्ज हुई तथा इस भूमि के विजयलाल व वादी कोपार्सनर हुए।

इसी प्रकार ग्राम सवीना की आराजी नंबर 4238/438 में से 0.0200 हैक्टर भूमि विजयलाल व वादी की शामलाती होकर दोनों कोपार्सनर हैं। उक्त भूमियां वादी की मौरूसी जायदाद होने से वादी इसका सहदायी है तथा मालिक काबिज है। किसी भी कोपार्सनर को उक्त जायदाद विक्रय करने का अधिकार नहीं है। विजयलाल व वादी के मध्य आपस में कोई विभाजन नहीं हुआ है तथा विजयलाल के खाते की समस्त भूमियों का वादी

सहदायी है। प्रतिवादी संख्या 3 नुमाईशी विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के हम में दिनांक 15–11–2006 को कर दिया है, जबकि उक्त भूमियां सहदायी की होने से उक्त विक्रय नल एण्ड वोईड है एवं कानूनन ऐसे विक्रय पत्र को देखा ही नहीं जा सकता है। उक्त भूमि के ईंच मात्र पर भी प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा नहीं है, फिर भी उसके द्वारा दिनांक 11–08–2010 को अपनी पत्नी के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। उक्त विक्रय एबइनिश्योवोईड होकर कानूनन उसका कोई महत्व नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त भूमियों के सम्बन्ध में नगर विकास प्रन्यास द्वारा 90–क की कार्यवाही करानी चाही तथा जब वादी ने कथित अखबार में सूचना पढ़ी तो तुरन्त नगर विकास प्रन्यास के यहां आपत्तियां पेश की। उक्त भूमियों के सम्बन्ध में नगर विकास प्रन्यास को 90–क की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। कथित जमीन के मालिक काबिज वादी है, परन्तु खाते में वादी का नाम दर्ज नहीं होने से यह घोषणा का वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतएवं उक्त भूमियों का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के नाम हटाकर वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज की जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जाकर अन्य विधिक अनुतोष भी दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 नगर विकास प्रन्यास की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करावे। साथ ही यह भी निवेदन किया कि किसी प्रकार का आवेदन आने पर नगर विकास प्रन्यास द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है। वादी को प्रतिवादी संख्या 4 नगर विकास प्रन्यास के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। अतएवं प्रतिवादी संख्या 4 नगर विकास प्रन्यास के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी स्वयं उक्त भूमियां अपने पड़दादा ओगड़लाल की होना बताते हुए स्वयं को कोपार्सनर होना बताया है, जबकि वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया भूमियां उसके पड़दादा ओगडलाल की होना प्रकट नहीं होता है तथा राजस्व रेकार्ड अनुसार उक्त भूमियां माणकलाल को राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गयी हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद

मिथ्या तथा कोनकोटेड तथ्यों के आधार पर चलने योग्य नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायिकी की स्थापना हेतु सम्पत्ति व्यक्ति से उपर की उसकी तीन पीढ़ियों में चली आ रही हो तब ही वह व्यक्ति कोपार्सनर बनता है, जबकि हस्तगत वाद में भूमियां माणकलाल को आवंटित होकर उसकी स्वअर्जित है, जो वादी को मात्र एक पीढ़ी पूर्व पूर्वज की ही हैं, जिससे वादग्रस्त भूमि को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं माना जा सकता, न ही वादी किसी प्रकार से कोपार्सनर ही है, जिससे वाद बार्ड बाई लॉ है। वादी स्वयं ने अपने वाद पत्र की कलम संख्या 8 में स्वीकार किया है कि उसके पिता व अन्य भाईयों के मध्य विधिवत बंटवारा हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब किसी सम्पत्ति का विधिवत बंटवारा हो चुका है तो वह सम्पत्ति सहदायी की सम्पत्ति अथवा हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती। ऐसी स्थिति में हस्तगत वाद जो कोपार्सनर के आधार पर घोषणा बाबत् प्रस्तुत किया गया है, जिससे वादी को किसी प्रकार का वाद हेतुक ही उत्पन्न नहीं होता है। वादी द्वारा फाल्स फिरिविलस एवं वैक्सेशियस तथा दुर्भावना से प्रेरित होकर प्रतिवादीगण को कारित उद्यापन के क्रम में हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो इस भूमि के वास्तविक स्वामी हैं, से विधि विरूद्ध तरीके से रूपया वसूल करना चाहता है, जिससे वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के उक्त आवेदन का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित जमीन वादी के दादा ओगड जी की होना वादी ने बताया है, जिसे वादी शहादत से सिद्ध करायेगा, प्रतिवादीगण ने अभी तक इस मामले में जवाबदावा ही पेश नहीं किया है। कथित भूमि माणकलाल जी को आवंटित नहीं हई है, जिसे वादी अपने वाद में शहादत से सिद्ध करायेगा, किसी भी तथ्य का बिन्दु इस स्टेज पर तय नहीं किया जा सकता। इस स्टेज पर केवल वादी के वाद को ही पढ़ा जायेगा। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जानबूझकर दावे को लम्बा करने की नियत से यह आवेदन प्रस्तुत किया है, जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि का कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है, बल्कि आपसी सहमति से पर्टिकुलर आराजीयात पर वादी काबिज है तथा विजयलाल के हिस्से में जो भूमि आयी उसमें वादी भी शामिल है। अर्थात भूमि वादी रिषु

की शामलाती होकर वादी एवं विजयलाल दोनों कोपार्सनर हैं। इस कारण घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का जो वाद पेश किया है वह सही है। अतएवं आवेदन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 08—02—2018 से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/ वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15—03—2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 स्वयं उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 नगर विकास प्रन्सास की ओर से वकील श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मीमों आफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट रिषु की ओर से बहस सुनने के बाद दिनांक 05—12—2018 को आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के तहत एक अखबार की कटिंग पेश कर उसे रेकार्ड पर रखे जाने का अनुरोध किया गया, जिसमें रेस्पोन्डेन्ट अमित सुहालका को धोखा—धड़ी के आरोप में गिरफ्तार किये जाने का वर्णन किया गया है। उपरोक्त अखबार की कटिंग न तो इस प्रकरण से संबंधित है तथा बहस सुनने के बाद पेश की गयी है। यह न्यायालय किसी पक्षकार के चरित्र का सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है तथा अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा इसी आशय के पूर्व दस्तावेज को रेकार्ड पर नहीं रखे जाने का पहले से ही निर्णय किया जा चुका है। अब अपीलान्ट द्वारा इस प्रकार के पेश शुदा

असंगत दस्तावेज को रेकार्ड पर रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है तथा उसे अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने से अपीलान्ट का आवेदन खारिज किया जाता है।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह केवल दावे को ही पढ़ते तथा दावा पढ़ने से ऐसा महसूस होता कि दावा बार्ड बाई लॉ है तो उसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय को कार्यवाही करनी चाहिए थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने दावे को पढ़े बिना मनमकसूद तरीके से रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा दस्तावेजात को देखकर आदेश पारित कर दिया। कथित भूमि अपीलान्ट की मौरूसी भूमि है तथा माणकलाल जी को यह जायदाद हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में प्राप्त हुई है तथा ये सब शहादत के विषय हैं, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर तनकियात कायम कर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने सारा आदेश कयासी आधारों पर दिया है इसमें आदेश 2 नियम 2 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इन प्रावधानों को लागू करते हुए आदेश पारित कर दिया। जब राजस्थान उच्च न्यायालय व सुप्रिम कोई ऐसे मामले में यह तय कर चुके हैं कि ऐसे कोम्पलीकेटेड केसेज में शहादत लेकर ही निर्णय करना चाहिए। इस स्टेज पर केवल दावे को ही देखा जाना है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर विचार किये बिना निर्णय पारित किया है। अतएवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में वादी/अपीलान्ट यह कहकर आता है कि विवादित भूमियां उसके दादा ओगड़लाल जी के समय की होने से संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमियां है तथा वह अपने पिता के साथ उक्त भूमियों का कोपार्सनर है। इसलिए उसके पिता विजयलाल को उक्त भूमियां विक्रय करने का अधिकार नहीं था, अतएवं विक्रय पत्र प्रारम्भ से विधि शून्य है तथा विवादित भूमियों में उसके हक अधिकार होने के कारण उसे खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रकरण में वादी/अपीलान्ट को यह सुस्पष्ट रूप से प्रमाणित करवाना था कि भूमियां उसके दादा ओगड़लाल जी के समय की होकर संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है, जबकि वादी द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा में एवं न ही इस अपील न्यायालय में इस प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे विवादित भूमियां ओगड़लाल जी की समय की होना प्रमाणित हो। इसके विपरीत इन्हीं आराजियात के संबंध में सिविल न्यायालय में चले वाद संख्या 330/2012 में जो कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अलावा अन्य को इन्हीं वाद वर्णित आराजियात में से कतिपय आराजियात का विक्रय किये जाने के कारण विक्रय पत्र निरस्ती का जो वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसमें तनकी संख्या 1 व 2 जो कि भूमियों के मौरूसी होने बाबत् बनी है, उन तनकियों का निर्णय करते हुए सिविल न्यायालय द्वारा यह विवेचन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 यानि विजयलाल को वादग्रस्त भूमि बेचने का अधिकार प्राप्त है तथा यह भी विवेचन किया गया है कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो कि भूमियां मौरूसी हैं। वादीगण के दोनों गवाहों ने स्वीकार किया है कि उनके द्वारा भूमियां दादा की होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। सिविल न्यायालय ने यह भी विवेचन किया है कि इससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यह भूमि दर्ज थी। वादीगण ने ऐसी कोई विधिक स्थिति या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि जो उनका वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार से अधिकार व आधिपत्य को साबित कर सके। प्रकरण में वादी/अपीलान्ट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय में एवं न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे भूमियां उसके दादा ओगड जी के समय से चली आना प्रमाणित होती हों।

प्रकरण में इसके विपरीत भूमियां माणकलाल जी के समय की होना प्रमाणित है तथा माणकलाल जी से यह भूमियां वादी के पिता विजयलाल तथा उसके अन्य भाईयों को विरासत से प्राप्त होकर उनके नाम दर्ज हुई हैं। आश्चर्य जनक रूप से पेश शुदा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2057 अनुसार उक्त भूमियों का वादी के पिता विजयलाल व उसके भाईयों के मध्य विधिवत आपसी सहमति विभाजन होकर विवादित भूमियां वादी के पिता विजयलाल को विभाजन से प्राप्त हुई हैं। प्रथम दृष्टया भूमियां ओगड़लाल जी के समय की होना प्रमाणित नहीं है तथा यदि भूमियां ओगड़लाल जी के

समय की होने की कोई संभावना भी हो, तो भी भूमियों का सहमति विभाजन होने के बाद भूमियां विजयलाल के खाते दर्ज हो गयी हैं, तद्नुसार भूमियां वादी की कोपार्सनरी अथवा सहदायिकी की नहीं रही हैं। प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 6 के प्रावधान पूरी तरह से स्पष्ट हैं, तद्नुसार यदि भूमियां वादी के दादा के समय की हो तो भी उक्त सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में पौत्र का अधिकार नहीं होता है। इस प्रकरण में तो भूमियों का आपसी सहमति विभाजन होकर वादी के पिता विजयलाल के नाम दर्ज हुई हैं, जिससे भूमियां को कोपार्सनरी अथवा सहदायिकी की नहीं माना जा सकता। अर्थात भूमियां हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 अनुसार होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। इसके विपरीत भूमियां माणकलाल के समय की होना प्रमाणित है तथा इन भूमियों बाबत् सिविल न्यायालय द्वारा भी वादीगण के विक्रय निरस्ती का वाद खारिज कर दिया गया है तथा वादी के पिता विजयलाल को भूमियां विक्रय करने का अधिकारी माना गया है। इसके अलावा भूमियों का वादी के पिता विजयलाल व उसके भाईयों के मध्य विधिवत आपसी सहमति विभाजन होकर भूमियां विजयलाल के नाम दर्ज होना पूरी तरह से स्पष्ट है, तद्नुसार भूमियों को कोपार्सनरी अथवा सहदायिकी की नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में वादी का वाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के विपरीत है, तद्नुसार वादी का वाद स्पष्टतया विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद के संबंध में ही वाद के तथ्यों के आधार पर वाद को विधि विरूद्ध होना माना है तथा प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर 2008 (2) आर.एल.डब्ल्यू. (RJ) पेज 1115 अनुसार भूमियों का विभाजन होने के बाद वह संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति नहीं रहती है, जो इस प्रकरण में राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद विधि विरूद्ध मानकर जो निर्णय पारित किया है, उसमें हक किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.एल.डब्ल्यू. 2012 (4) पेज 3371 प्रस्तुत की है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सिर्फ वाद के तथ्यों को ही देखा जाना चाहिए। इस प्रकरण में वादी स्वयं द्वारा विवादित भूमियों के विभाजन होने का कथन किया गया है तथा राजस्व रेकार्ड अनुसार भी आपसी सहमति से भूमियों का विभाजन

होकर भूमियां विजयलाल के नाम दर्ज हो चुकी हैं। तद्नुसार यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1076 प्रस्तुत की गयी है, यह न्यायिक नजीर भी इस बिन्दु पर अवलम्बित है कि सिर्फ वाद के तथ्यों को ही देखा जाना चाहिए। जबकि इस प्रकरण में वादी स्वयं द्वारा विवादित भूमियों के विभाजन होने का कथन किया गया है तथा राजस्व रेकार्ड अनुसार आपसी सहमति से भूमियों का विभाजन होकर भूमियां वादी के पिता विजयलाल के नाम दर्ज हो चुकी हैं। तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 713 में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि मयाद के आधार पर आदेश 7 नियम 11 के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में मयाद के आधार पर आवेदन स्वीकार नहीं किया गया है। तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 633 प्रस्तुत की गयी है, जिसके तथ्य इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक नजीर आर.बी.जे. (14) 2007 पेज 256 के तथ्य वर्तमान प्रकरण से सुसंगत नहीं होने से यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर डी.एन.जे. (राज.) 1994 पेज 162 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वर्णित तथ्य भी वर्तमान प्रकरण से भिन्न हैं, तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायिक नजीरें 2017 (1) डी.एन.जे. (राज.) पेज 132, आर.आर.डी. 1996 पेज 1, आर.आर.डी. 1993 पेज 505, 2008 (0) सुप्रिम (राज.) पेज 214 व आर.आर.डी. 2017 पेज 732 प्रस्तुत की गयी, जिनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से सुसंगत हैं।

समग्र रूप से वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें अपीलान्ट की कोई मदद नहीं करती हैं, क्योंकि विवादित भूमियों का विभाजन होकर भूमियां वादी/अपीलान्ट के पिता विजयलाल के नाम दर्ज हो चुकी हैं,

जबकि वकील रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें प्रस्तुत प्रकरण से सुसंगतता रखती हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08—02—2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10—12—2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

रिषु सुहालका पिता विजयलाल जी सुहालका, निवासी मकान नंबर 208–बी, सरदारपुरा, उदयपुर बनाम **श्री सुप्रीम ऑटो इन्जीनियरिंग वर्क्स, सिटी स्टेशन रोड़ उदयपुर द्वारा श्री अमित सुहालका, नि॰ मकान नं॰ 202, अशोकनगर, रोड नं. 14, उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰...........**31/2018**....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**गिर्वा**.......... मुकाम...............मुवर्खे............**.08**..............माह.............**02**............**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**10**.....माह........**12**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री शान्तिलाल चपलोत** ....मिनजानिब अपीलान्ट व........**श्री दुर्गासिंह शक्तावत**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–02–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**10**......माह.......**12**...........**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।